

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- ^{101, 108} ~~16, 17, 18, 17~~ TR / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं०एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश प की गई कार्रवाई : बारे में

03/08/2020

जमाबंदीदार श्री / श्रीमती साहेबा महतो पिता / पति चरण महतो

मौजा जो जोहालु थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या- 11R8/56-57


में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 32R8/56-57 के आधार पर दर्ज है।
135/64-65

जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
जो जोहालु	289	129/733 51	129/733	0.20 एकड़
			178	0.50 एकड़
			129	0.94 एकड़
			178	0.20 एकड़
				<u>1.84 एकड़</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 10/08/2020 को उपस्थापित करें।



अंचल अधिकारी
अड़की।

10/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/
भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा
सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि
नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के
नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक
सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती साहेबा महतो
..... पिता/पति चरण महतो मौजा-जो जो हलु थाना-अड़की,
जिला-खूँटी के नाम से मौजा-जो जो हलु थाना नं० 289 खाता सं० 51
प्लॉट सं० 129/733, 178 रकबा- 0.20, 0.50, 0.94 लगान रुपये अलावे
129, 178 0.20 = 1.84 एकड़
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप
ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।


अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-जो जो हलु
..... थाना नं० 289 के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-.....पर
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।


अंचल अधिकारी,
अड़की।